


कार्यालय प्राचार्या राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रोहतक।

आवश्यक सूचना दिनांक 09.02.2023

महाविद्यालय के सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कक्षाओं के सामने बरामदों में मोबाईल फोन का इस्तेमाल वर्जित है। कोई भी छात्रा फोन पर बातचीत करती हुई या फोटो खींचती/ खिचवार्ती हुई पाई गई तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। छात्राएं फोन का इस्तेमाल टीचिंग ब्लॉक में न करके बाहर मैदान में कर सकती है।


प्राचार्या
राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय,
रोहतक।